मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017-18

MSME
ENTREPRENEURSHIP

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017-18

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय		पृष्ठ क्रमांक
01.	प्रभारी मंत्री एवं विभाग में पदस्थ प्रमुख पदाधिकारी/अधिकारी		01
02.	**भाग - एक**	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	02-34
03.	**भाग - दो**	बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय	35-38
04.	**भाग - तीन**	राज्य योजनाऍं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	39-44
05.	**भाग - चार**	सामान्य प्रशासनिक विषय	45-57
06.	**भाग - पॉच**	अभिनव योजना	58-59
07.	**भाग - छः**	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	60-61
08.	**भाग - सात**	सारांश	62-63
09.	**भाग - आठ**	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	64

विभाग का नाम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रभारी मंत्री	:	माननीय श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (दिनांक 03.07.2016 से निरन्तर)
प्रमुख सचिव	:	श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 05.04.2016 से निरन्तर)
उप सचिव	:	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (दिनांक 07.03.2017 से निरन्तर) श्री पर्वत सिंह (दिनांक 06.05.2016 से निरन्तर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	श्री राजीव जैन (दिनांक 05.04.2016 से निरंतर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग आयुक्त	:	श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 07.06.2014 से 19.07.2017 तक एवं दिनांक 02.08.2017 से निरंतर) श्रीमती दीपाली रस्तोगी (दिनांक 19.07.2017 से 02.08.2017 तक)

म. प्र. राज्य लघु उद्योग निगम

अध्यक्ष	:	माननीय श्री बाबू सिंह रघुवंशी (दिनांक 26.03.2016 से निरंतर)
प्रबंध संचालक	:	श्री डी. पी. आहूजा (दिनांक 02.01.2017 से 12.07.2017 तक) श्रीमती दीपाली रस्तोगी (दिनांक 13.07.2017 से 02.08.2017 तक) श्री अरूण पाण्डेय (दिनांक 05.08.2017 से 07.08.2017 तक) श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 08.08.2017 से निरंतर)

म. प्र. राज्य वस्त्र निगम

अध्यक्ष	:	माननीय श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (दिनांक 06.10.2016 से निरंतर)
प्रबंध संचालक	:	श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 06.06.2015 से 19.07.2017 तक एवं दिनांक 02.08.2017 से निरंतर) श्रीमती दीपाली रस्तोगी (दिनांक 19.07.2017 से 02.08.2017 तक)

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

अध्यक्ष	:	श्री एस. एन. रूपला (दिनांक 12.04.2016 से 30.11.2017 तक) श्री बी. एम. शर्मा (दिनांक 04.12.2017 से निरंतर)
सचिव	:	श्री शैलेद्र मिश्रा (दिनांक 19.12.2015 से 28.02.2018 तक) श्री पी. सी. वर्मा (दिनांक 01.03.2018 से निरंतर)

भाग - एक

विभागीय संरचना

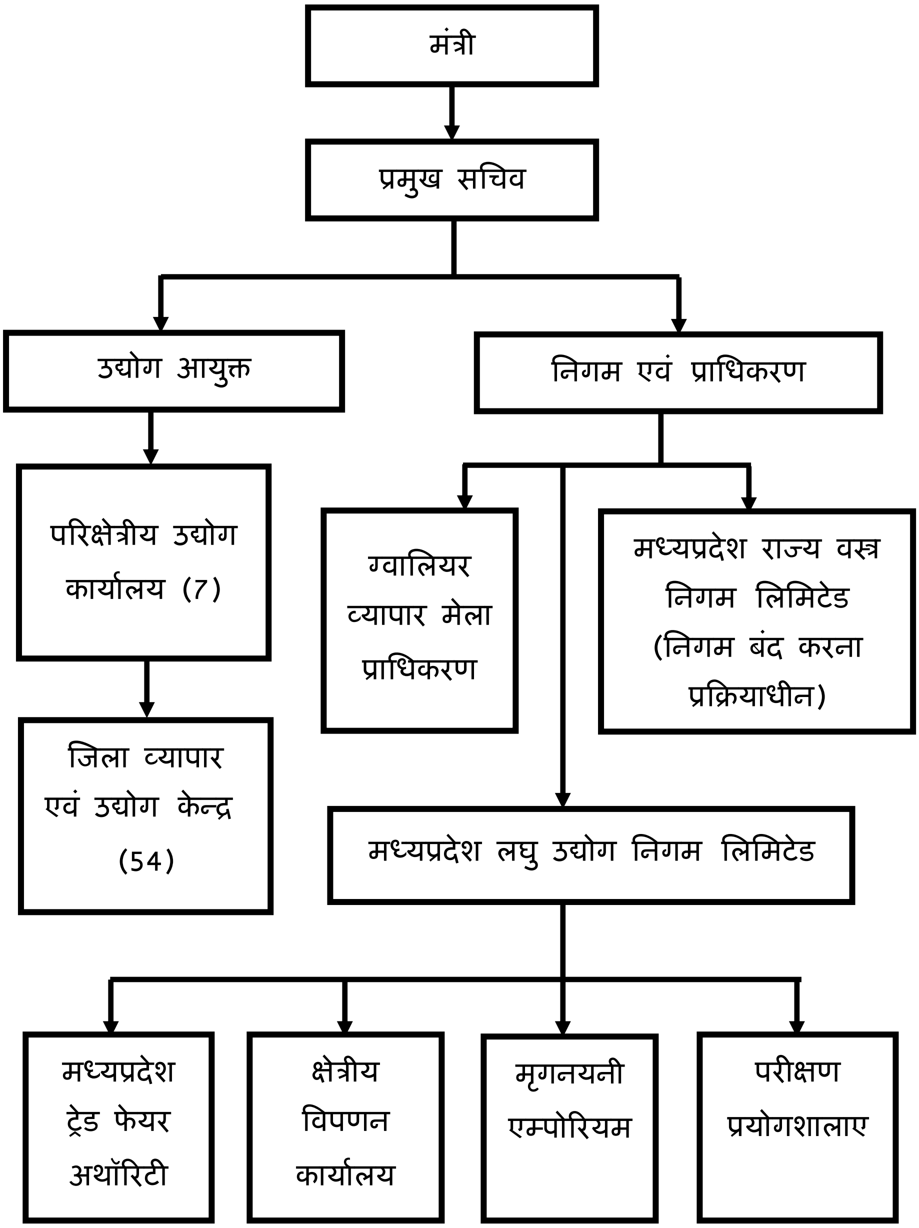

सामान्य जानकारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते है। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियां बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम भी बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरो का विकास भी करता है। स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सके।

2. **विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक विभागाध्यक्ष हैं :-**

   (1) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश

3. वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत दो सार्वजनिक उपक्रम तथा एक प्राधिकरण निम्नानुसार है :-

   (1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
   (2) मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (निगम बंद करना प्रक्रियाधीन)
   (3) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का अधिनियम एवं परिभाषा

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।
- उद्योग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान, लघु उद्यम (विनिर्माण) की सीमा को बढ़ाकर रू. 5 करोड़ करना।
- आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्यमों को परिभाषित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
- लघु उद्योगों के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण - प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में पूँजीवेष्ठन के अधिकतम सीमा के आधार पर विनिर्माण (मैन्युफेक्चरिंग) तथा सेवा (सर्विस) उद्यम को वर्गीकृत किया गया है।

वर्गीकरण निम्नानुसार हैं:-

वर्गीकरण	मैन्यूफैक्चरिंग पूँजीवेष्ठन सीमा	सर्विस सेक्टर पूँजीवेष्ठन सीमा
सूक्ष्म उद्यम	रू. 25 लाख तक	रू. 10 लाख तक
लघु उद्यम	रू. 25 लाख से अधिक व रू. 5 करोड़ तक	रू. 10 लाख से अधिक व रू. 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	रू. 5 करोड़ से अधिक व रू. 10 करोड़ तक	रू. 2 करोड़ से अधिक व रू. 5 करोड़ तक

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSMED_Act.pdf* पर क्लिक करें)

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की गतिविधियाँ

- एमएसएमई विकास नीति 2017 (1 अप्रेल, 2018 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (एमएसएमई से संबंधित भाग) का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 का क्रियान्वयन।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।

6. नीति, नियमों, आदेशों व निर्देशों का अंगीकरण

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 16.08.2016 द्वारा विभाग की पृथक नीति, नियम, आदेश व निर्देश जारी होने तक तत्समय वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग वर्तमान में उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश व निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा अंगीकृत किये गये है।

7. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017

7.1 राज्य शासन द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एक सक्रिय नीति एवं विनियामक वातावरण बनाने, स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करने और इनके माध्यम से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई है, जो 1 अप्रेल, 2018 से प्रभावशील होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू की गई है।

7.2 म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 अंतर्गत एमएसएमई हेतु सहायता/अनुदान :

(i) **उद्योग विकास अनुदान** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

(ii) **इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता** - यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है तो ऐसी इकाइयों को राज्य शासन द्वारा इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख प्रदान की जाएगी।

(iii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता - औद्योगिक इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना में निवेश के लिये 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।

(iv) निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता - पूर्व अनुमति प्राप्त कर संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु व्यय की गई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट होना आवश्यक है और इनमें कम से कम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना चाहिए।

(v) अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति नई औद्योगिक इकाइयों, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रूपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहें हों, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के नियोक्ता के अंश की शत प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिये या अधिकतम रू. 5 लाख (इनमें से जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी।

(vi) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति - गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रू. 3 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(vii) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति - राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/उत्पादन प्रक्रियाओं का पेटेंट/आईपीआर कराने पर हुए व्यय का शतप्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 5 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(viii) पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता - भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन

करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के पश्चात, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई सहायता प्रदान की जाएगी।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/ fileman/Uploads/Documents/MSME_Development_Policy_2017.pdf* पर क्लिक करें)

8. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016

8.1 भारत सरकार के 'स्टार्टअप इंडिया' विजन के साथ तालमेल रखते हुये एक अनुकूल, अभिनव और तकनीकी उद्यमी परिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को साकार करने हेतु 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016' के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को पोषित और बढ़ावा दिया जा रहा है।

8.2 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016' अंतर्गत एमएसएमई हेतु प्रमुख सहायता/अनुदान

अ. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

i. पूंजी अनुदान
ii. संचालन सहायता
iii. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन
iv. सलाह हेतु सहायता
v. स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता

ब. स्टार्टअप/उद्यमियों को प्रोत्साहन

i. ब्याज अनुदान
ii. लीज़ किराया अनुदान
iii. पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान
iv. स्टार्टअप विपणन सहायता
v. क्रेडेंशियल विकास सहायता

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_Incubation_&_Startup_Policy_2016.pdf* पर क्लिक करें)

9. उद्योग संवर्धन नीति-2014 (एमएसएमई से संबंधित भाग)

9.1 राज्य शासन द्वारा औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, प्रदेश प्रशासन को उद्योग मित्र बनाये रखने एवं राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश में सारवान वृद्धि के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 जारी की गई हैं। यह नीति 01 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" लागू की गई है, जो 31 मार्च, 2018 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों हेतु है। 31 मार्च, 2018 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 अंतर्गत प्रोत्साहनों की पात्रता होगी।

9.2 उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत एमएसएमई हेतु प्रमुख सहायता/अनुदान :

(i) स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान
(ii) टर्म लोन पर ब्याज
(iii) वैट एवं सीएसटी की प्रतिपूर्ति
(iv) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति
(v) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना हेतु सहायता
(vi) प्रवेश कर से छूट
(vii) मण्डी शुल्क से छूट
(viii) विद्युत शुल्क से छूट
(ix) बीमार लघु उद्योग इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु सहायता

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/Industrial_Promotion_Policy_ 2014_Amended.pdf* पर क्लिक करें)

10. लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

9.1 प्रदेश के एमएसएमई के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव, उद्योग संवर्धन नीति पर सुझाव तथा उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित है।

9.2 राज्य शासन द्वारा 4 जनवरी, 2018 से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है।

11. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिये "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 30 एवं 21 के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अध्याधीन, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किये गये थे तथा फैसिलिटेशन काउन्सिल के गठन की अधिसूचना दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को जारी कर दी गई थी। फेसिलिटेशन काउंसिल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 24.11.2017 से मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल के कार्यकरण को सुविधायुक्त बनाने के लिए नवीन मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2017 जारी किये गये है।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_MSEFC_Rules_2017.pdf* पर क्लिक करें)

12. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-

2015" दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से लागू किया गया है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा नियमों में संशोधन कर उनका सरलीकरण किया गया है।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_Land_Rules_2015.pdf* पर क्लिक करें)

13. म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_Purchase_Rules_2015.pdf* पर क्लिक करें)

14. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभागीय सेवाएं

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभाग की छः सेवाए यथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति, वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना, अधिसूचित की गई है।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSME_Lok_sewa_2017.pdf* पर क्लिक करें)

15. **सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), भोपाल**

सीपेट, भोपाल को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होना है।

16. **सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, ग्वालियर**

भारत सरकार की परियोजना अंतर्गत रू. 40.10 करोड़ की लागत से ग्वालियर में वोकेशन ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किया गया है, जिसमें नवंबर, 2016 से अस्थायी भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा इस सेण्टर हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अंश 50-50 प्रतिशत है। परियोजना में भारत सरकार द्वारा राशि रू. 7.85 करोड़ उपलब्ध कराई गई है।

17. **स्वरोजगार योजनाएं**

राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2017 द्वारा स्वरोजगार योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता में संशोधन किया गया है। योजनाओं अंतर्गत आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित न होने एवं आवेदक के आयकरदाता न होनें की शर्त जोड़ी गई। साथ ही बीपीएल आवेदकों को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत परियोजना लागत रू. 1 करोड़ से बढ़ाकर रू. 2 करोड़ की गई। इसी आदेश द्वारा प्रदेश के किसानों के पुत्र/पुत्रियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये दो करोड़ तक की कृषि परियोजनाओं पर आधारित अपना उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ण कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान एवं ऋण गारंटी का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा।

18. प्रदेश में एमएसएमई हेतु पृथक विभाग का गठन होने से प्रदेश के औद्योगीकरण में गति तथा रोजगार सृजन बढ़ा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एमएसएमई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न आयोजन स्थल पर उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ आमंत्रित किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

अ. दायित्व

- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में इंक्यूबेटरों व स्टार्टअप का पोषण एवं बढ़ावा देना।
- युवा उद्यमिओं को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
- विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्यात वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना।
- प्रदेश में स्थित पावरलूम उद्योगों का विकास एवं पावरलूम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ब. सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में प्रभावी व गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना व उसके संचालन को सरल व सहज बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोक सेवाओं के

प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित कर कार्य में पारदर्शिता लाई गई है।

स. एमएसएमई का विकास

- <u>एमएसएमई एवं स्वरोजगार सम्मेलन, 2017</u>

  दिनांक 17 व 18 नवम्बर, 2017 को एमएसएमई एवं स्वरोजगार सम्मेलन, 2017 का आयोजन भोपाल में किया गया। सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री गिरिराज सिंह, एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार उपस्थिति रहे। सम्मेलन में प्रदेश की एमएसएमई इकाईयों के स्वामियों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों और स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राहियों ने अपनी सहभागिता की, उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और अपने उद्यम को आगे ले जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण एमएसएमई के उत्पादों की प्रदर्शनी थी। सम्मेलन में एमएसएमई से जुड़े विषयों पर थीम सेमिनार आयोजित किये गये। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाली सूक्ष्म व लघु उद्योग इकाईयों को पुरूस्कृत किया गया।

- <u>क्लस्टर</u> - भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश में भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 4 क्लस्टरों यथा रेडिमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा जिला ग्वालियर, अपेरल क्लस्टर बिजैपुर जिला इंदौर, फूड क्लस्टर बड़ौदी जिला शिवपुरी और नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर करमड़ी जिला रतलाम में अधोसंरचना कार्य प्रगति पर है।

  सार्वजनिक सुविधा भवन हेतु निम्नलिखित चार प्रस्ताव तैयार किये गये है :-

  1. एग्रीकल्चर इमप्लीमेंट्स क्लस्टर, खुरई, सागर
  2. इंजीनियरिंग क्लस्टर गोविंदपुरा, भोपाल
  3. नमकीन एवं मिष्ठान क्लस्टर, जबलपुर
  4. मालवा प्लास्टिक एवं पैकेजिंग क्लस्टर, उज्जैन

  उक्त में से मालवा प्लास्टिक एवं पैकेजिंग क्लस्टर, उज्जैन को भारत सरकार से अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

- एफडीडीआई के मध्यप्रदेश में स्थित सेण्टरों यथा भोपाल, बैतुल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, गुना एवं देवास में वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर, 2017 अंत तक तक 3889 व्यक्तिओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 269 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

द. लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लैण्ड बैक बनाया गया है, जिससे उद्यमिओं को आकर्षित कर उद्यम स्थापित किये जा सकें। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना के लिये दृढ़ संकल्पित है। वर्तमान में प्रदेश में 186 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इनके साथ-साथ अनेक अविकसित भूमियों को चिन्हित किया जाकर उन्हें विकसित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विहीन जिला अनुपपूर, उमरिया एवं अशोकनगर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये है तथा भूखण्डों का आवंटन किया गया है।
- शिवपुरी जिलें में करेरा, उज्जैन जिलें में फर्नाखेड़ी, डिण्डोरी जिलें में कोहका एवं अलीराजपुर में सेजवाड़ा नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे है।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/Land_Bank_2014.pdf* पर क्लिक करें)

ई. एग्जिबिशन सेण्टर

प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर तथा सतना में एग्जिबिशन सेण्टर बनाए जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है। इन एग्जिबिशन सेण्टरों में एमएसएमई के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर तथा सतना में एग्जिबिशन सेण्टर बनाए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

फ. एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल

एमएसएमई इकाईयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर प्रदान करने हेतु एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। उद्योग संचालनालय, म.प्र. में एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल (हब) 1 मार्च, 2017 से प्रारंभ हो गया है। इस फेसिलिटेशन सेल में 20 कंसलटेंट कार्य कर रहे है तथा उद्योग संचालनालय, म. प्र. में इन कंसलटेंट के मार्गदर्शन हेतु विषय विशेषज्ञों का 'हब' बनाया गया है। इन कंसलटेंट को 20 जिलों में पदस्थ किया गया है और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक माह में सभी जिलों में इनकी पूर्व निर्धारित बैंठके एमएसएमई के साथ आयोजित हो। इस प्रकार सभी 51 जिलें इन कंसलटेंट को आवंटित कर सभी जिलों में 'एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेण्टर' स्थापित कर इनके जरिए फेसिलिटेशन का कार्य किया जा रहा है।

ज. स्वरोजगार योजनाएं

- **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये दो करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना में बीपीएल आवेदक एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।

  (विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MMYUY_&_MMSY_New_Guidelines.pdf* पर क्लिक करें)

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना** :- प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार

से अधिकतम रुपये 10 लाख तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MMYUY_&_MMSY_New_Guidelines.pdf* पर क्लिक करें)

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :-** भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समन्वित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र स्तर पर योजना की नोडल एजेन्सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। प्रदेश स्तर पर योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 25 लाख तथा सेवा/व्यवसाय के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 10 लाख हेतु ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उद्योग क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 10 लाख से अधिक होने पर और सेवा क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, आवेदक का न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को शहरी व ग्रामीण के आधार पर मार्जिनमनी सहायता का लाभ दिया जाता है।

  (विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/PMEGP.pdf* पर क्लिक करें)

च. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य

प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाईन सेवाए व जानकारी प्रदान करने हेतु राशि रू. 626.27 लाख की परियोजना लागत से ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है, जो वर्ष 2020-21 तक पूर्ण होगा। प्रथम तीन वर्षो में साफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण एवं बैकलॉग डाटा एंट्री का कार्य

और शेष तीन वर्षो में विकसित साफ्टवेयर के रखरखाव का कार्य मैप-आईटी द्वारा किया जावेगा। उक्त परियोजना के तहत विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in (हिन्दी URL : एमपीएमएसएमई.सरकार.भारत) विकसित कर प्रारंभ की गई है। वेबसाइट जी.आई.जी.डब्ल्यू. मापदंडो के अनुरूप विकसित की गई है। विभागीय सुविधाएँ चरणबद्ध रूप से उद्यमियों को ऑनलाईन प्रदान की जा रही है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ गई है। उक्त के साथ-साथ एमआईएस प्रणाली भी विकसित की जा रही है। पहले चरण में स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जा रहे है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन तथा शुल्क का भुगतान शत-प्रतिशत ऑनलाईन किया गया है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के एनआईसी अंतर्गत ई-मेल पते बनाए गए है और उन्हें विकसित साफ्टवेयर के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

इ. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- **उद्यमों की स्थापना :-**
  - ❖ वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 अंत तक कुल 1,68,944 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें रू. 11446.06 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष रूप से 498390 व्यक्तियों को रोजगार मिला हैं।
  - ❖ प्रदेश में वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक वर्षवार पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पूँजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
1	2012-13	19894	672.43	47414
2	2013-14	18660	612.56	44924
3	2014-15	19835	750.04	51571
4	2015-16	48179	5171.75	194761
5	2016-17	87071	9547.32	363812

- **<u>स्वरोजगार योजनाए</u> :-**

  ❖ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 अंत तक भौतिक लक्ष्य 1500 के विरूद्ध 1301 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 970 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि रू. 135.77 करोड़ वितरित की गई।

  ❖ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 अंत तक भौतिक लक्ष्य 30000 के विरूद्ध 29593 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 23151 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि रू. 241.75 करोड़ वितरित की गई।

  ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 अंत तक वित्तीय लक्ष्य रू. 75.87 करोड़ के विरूद्ध सहायता राशि रू. 24.67 करोड़ वितरित की गई।

- **<u>शासकीय भूमि का हस्तातंरण</u> :-**

प्रदेश में एमएसएमई हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के आधार पर माह जनवरी, 2017 से माह दिसम्बर, 2017 तक निम्नानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित कराई गई:-

क्र.	जिला	ग्राम	भूमि (रकबा हे. में)	हस्तांतरण आदेश दिनांक
1	राजगढ़	दिलावरी, प्रेमपुरा	117.989	18.04.2017
2	उज्जैन	फर्नाखेड़ी	17.000	01.07.2017
3	बैतुल	1. चोरडोगरी	18.601	03.08.2017
		2. मोही	8.982	24.10.2017
4	जबलपुर	पिपरिया, परियट	1.200	13.06.2017
5	धार	1. कस्थली, टेमरनी, मुहाली, देवरा	2.189	14.07.2017
		2. मौरका	0.859	11.08.2017
	शिवपुरी	श्येपुरा	5.000	01.09.2017
7	बड़वानी	कसबा, अंजड, सजवान	17.821	08.09.2017
		योग	**189.641**	

- **<u>उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> :-**

  उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विगत पांच वर्षों में प्रगति विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या	कुल लाभांवित प्रशिक्षणार्थी
1	2012-13	104	3199
2	2013-14	347	10491
3	2014-15	269	8070
4	2015-16	115	3240
5	2016-17	169	4732

प्रदेश के दूरस्थ अंचल के युवाओं को उद्यमिता को समझाने तथा घर से हीं उद्यमियों को सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय संस्थान 'NIMSME (निम्समें) हैदराबाद' के सहयोग से ऑनलाईन उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की एप्लीकेशन तैयार की जा रही है।

- **<u>सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल</u> :-**

वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 अंत तक काउन्सिल की 03 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें विगत वर्ष के काउन्सिल को प्राप्त 190 प्रकरण रखे जाकर 78 प्रकरणों में कुल राशि रू. 34.74 करोड़ के समझौता आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं। शेष 112 प्रकरण एवं जनवरी, 2018 तक प्राप्त 95 नवीन प्रकरण सहित कुल 207 प्रकरण काउन्सिल के समक्ष विचाराधीन है।

<u>मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड</u>

(अ) निगम की संरचना :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 लाख है एवं इसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूंजी रू. 282.75 लाख है। प्रदत्त अंशपूंजी में रू. 267.75

लाख राज्य शासन के तथा रू. 15.00 लाख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत शासन द्वारा निगम में वेष्ठित हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा रू. 282.75 लाख में से रू. 72.45 लाख का निवेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, जो कि निगम की सहायक कम्पनी है, की अंशपूंजी में किया गया है।

(ब) निगम के मुख्य उद्देश्य :-

(i) शासकीय विभागों हेतु उनकी आवश्यकताओं के उत्पादों का उपार्जनः- म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना।

(ii) प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को मृगनयनी म. प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से विपणन सुविधा प्रदान करना।

(iii) कच्चे माल की आपूर्ति।

(iv) उद्योगों को परीक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

(v) बिजनेस डेव्लपमेंट सेल के अंतर्गत ई-टेंडिरिंग तथा इकाईयों को कोयले का वितरण।

(vi) निर्माण कार्य।

(स) निगम की गतिविधियों :-

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं:-

(1) <u>विपणन गतिविधि</u> :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ-14/2012/अ-ग्यारह, दिनांक 28.07.2015 से म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 लागू किया गया है, जिसमें प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने की दृष्टिगत कुल 39 वस्तुएं नियम 6 के अंतर्गत म. प्र. लघु

उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित की गई हैं। म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के नियम-7 के तहत म. प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से सामग्री क्रय हेतु ऑनलाईन क्रयादेश तथा ऑनलाईन प्रदाय आदेश जारी किये जाने की प्रक्रिया (mplunrcms.eproc.in) लागू की गई है।

निगम द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट मांग के दृष्टिगत साईकिलों के उपार्जन की कार्यवाही GeM पोर्टल पर सम्पादित की गई। GeM पोर्टल पर साईकिल के दर निर्धारण हेतु निगम द्वारा सर्वप्रथम ई-बिडिंग की कार्यवाही की गई। ई-बिडिंग में प्राप्त दरों के आधार पर रिवर्स ऑक्शन की कार्यवाही की गई। रिवर्स ऑक्शन में प्राप्त दरों के आधार पर दर निर्धारण की कार्यवाही की जाकर GeM पोर्टल पर 7,14,316 नग साईकिलों के प्रदाय हेतु प्रदायादेश जारी किये गये, जारी किये गये प्रदायादेशों का कुल मूल्य रू. 235.36 करोड़ है।

निगम द्वारा GeM पोर्टल पर निविदा आमंत्रण एवं रिवर्स ऑक्शन की कार्यवाही प्रथम बार स्कूल शिक्षा विभाग के अनुरोध पर की गई। वर्तमान में साईकिलों के प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निगम द्वारा म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के विशिष्ट मांग के दृष्टिगत 1086275 जोड़ी जूता, 1037330 जोड़ी चप्पल एवं 2123515 नग वाटर बॉटल के प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रित कर दरों का निर्धारण किया गया है। उपरोक्त सामग्री के प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निगम द्वारा म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के विशिष्ट मांग के दृष्टिगत तेन्दू पत्ता संग्राहकों के लिये 10.50 लाख साड़ियों के प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रित कर दरों का निर्धारण किया गया है। सामग्री प्रदाय का कार्य प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च-2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 660.00 करोड़ के समक्ष रू. 725.17 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस गतिविधि के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 तक रू. 570.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू.

416.70 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। प्रदेश की SME के विकास हेतु निगम द्वारा जारी की जा रही राज्य स्तरीय निविदाओं में टर्न ओव्हर में छूट दी गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों की सार्वजनिक क्रय नीति के अन्तर्गत प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय की "नेशनल एस.सी./एस.टी. हब योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों हेतु क्षेत्रीय सम्मेलन इन्दौर एवं जबलपुर में आयोजित किये गये है। इन सम्मेलनों में निगम द्वारा सक्रिय भागीदारी की गई है। नेशनल एस.सी./एस.टी. हब योजना के अन्तर्गत एक्जीविशन/ट्रेड फेयर में भागीदारी, वेण्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशाप/सेमीनार/अवेयरनेस प्रोग्राम एवं स्किल डेवलपमेंट से सम्बन्धित कार्यों पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) <u>एम्पोरियम गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर एम्पोरियमों का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के एम्पोरियमों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शनी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। एम्पोरियम विभाग द्वारा ऑन लाईन शांपिग हेतु पोर्टल भी संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 45.56 करोड़ के समक्ष रू. 47.31 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 50.37 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 62.03 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

<u>मेला प्रदर्शनी का आयोजन</u> :-

अ. निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समग्र बाजार विपणन हेतु प्राप्त होता है।

ब. निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मण्डप का निर्माण कर संचालन किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में दिनांक 14-27 नवम्बर, 2017 की अवधि में प्रगति मैदान में "स्टार्ट-अप इंडिया स्टेण्ड-अप इण्डिया" थीम के आधार पर भाग लिया गया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2017 हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रू. 125.00 लाख बजट सीमा रखी गई, जिसके समक्ष राशि रू. 98.89 लाख निगम को प्राप्त हुए। इस आयोजन में राशि रू. 106.85 लाख का व्यय हुआ।

स. प्रदेश की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाईयां तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित इकाईयों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रोडक्ट के निर्यात की सम्भावना के अन्तर्गत दिनांक 02-10 दिसम्बर 2017 तक की अवधि में AF-L Artigiano in Fiera-22nd International Crafts Selling Exhibition, Milan, Italy में सफलता पूर्वक भाग लिया गया।

(3) <u>कच्चा माल गतिविधि</u> :-

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लौह इस्पात का एलोकेशन तथा उस पर मिलने वाला रिबेट देना बंद कर दिया गया है साथ ही भारत सरकार की उदारीकरण की नीति, कच्चे माल पर से मूल्य नियंत्रण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जाने, निजी

क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उधारी पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक नियुक्त होने आदि कई कारणों से कच्चा माल वितरण के व्यवसाय में बदलाव आया है। फिर भी इस गतिविधि के अंतर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात, ब्रास स्क्रेप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से निगम के कच्चा माल भण्डार, इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर बन्द कर दिये गये हैं तथा एक मात्र कच्चा माल भण्डार, भोपाल ही कार्यरत हैं। माह दिसम्बर, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 17.01 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 11.82 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 55.00 करोड़ के समक्ष रू. 36.13 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(4) सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि :-

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य सौपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया। कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया। वर्तमान में निगम द्वारा राज्य शासन के एमएसएमई विभाग के निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों जिसमें अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/अनुसूचित जाति विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास पंचायत विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग एवं केन्द्र शासन की केन्द्रीय नवोदय विद्यालय समिति के कार्य सम्मिलित है।

इस तरह से यह गतिविधि निगम के लिये एक आवश्यक गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 120.50 करोड़ के समक्ष रू. 131.15 करोड़ के निर्माण कार्य सम्पादित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 39.20 करोड़

के लक्ष्य के समक्ष रू. 79.11 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। राज्य शासन द्वारा सम्पदा एवं निर्माण विभाग की गतिविधियों को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से समाप्त किया गया है। उक्त दिनांक से सम्पदा एवं निर्माण विभाग कोई भी नवीन निर्माण कार्य नहीं लिया तथा न ही निर्माण एजेन्सी बना। विभाग द्वारा वर्तमान चल रहे समस्त निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जा रहे है।

(5) तकनीकी गतिविधि :-

निगम के तकनीकी विभाग द्वारा शासकीय विभागों को प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के स्पेसिफिकेशन का निर्धारण क्रेता विभाग के आवश्यकतानुसार किया जाता है। सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु "टू बिड" प्रक्रिया के अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन एवं यथा संभव नमूनों का तकनीकी मूल्यांकन एवं उत्पादों के लागत अनुमान तैयार किये जाते है।

निगम के तकनीकी विभाग द्वारा इन्दौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है, जिनके अंतर्गत लघु उद्यमियों के उत्पादों का परीक्षण उचित दरों पर किया जाता है तथा परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। निगम की इन्दौर परीक्षण प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड आफ लेबोरेटरीज), बी.आईएस.(भारतीय मानक ब्यूरो), एफ.डी.ए., एगमार्क आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर को भी आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोगशालाएं निर्माण सामग्रियों, खाद्य तत्वों तथा औषधियों की जांच के लिए सभी सुविधाओं से सम्पन्न है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की 50 प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड योजनान्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग रूपये 65.00 लाख की लागत से अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू.

124.39 लाख के समक्ष रू. 91.70 लाख का व्यवसाय किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 91.85 लाख के लक्ष्य के समक्ष रू. 81.39 लाख का व्यवसाय किया गया है।

(6) बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम केन्द्र शासन की कोयला वितरण नीति (NCDP-2007) के तारतम्य में, प्रदेश के MSME उद्यमियों को कोयला उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित एजेन्सी (SNA) है। निगम के 'बिजनेस डेव्हलेपमेंट सेल' (BDC) द्वारा यह गतिविधि संचालित की जाती है।

निगम में बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल (BDC) का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। तदनंतर वर्ष 2005-06 में लघु उद्योग निगम द्वारा कोयला कम्पनी से कोयला आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की कोयला प्राप्त करने की इच्छुक MSME इकाईयों के मध्य कोयले के वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। म.प्र. शासन, तत्समय वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, वर्तमान में उद्योग नीति एव निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/05/अ-ग्यारह दिनांक 4/7/2008 के द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.ट. तक हो, को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोयले का वितरण करने हेतु प्रक्रिया एवं नीति लागू की गई थी, जिसका पालन करते हुए निगम के बी.डी.सी. विभाग द्वारा प्रदेश के इकाईयों को कोल का वितरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक कोयला वितरण का कार्य निरन्तर जारी रहा, परन्तु बाजार में व्याप्त मंदी और अकस्मात मई, 2016 में कोयला कम्पनीज द्वारा ई-आक्शन के कोयले का मूल्य 20 प्रतिशत तक कम कर दिये जाने के कारण SNA के माध्यम से वितरित किये जाने वाले कोयले का मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक हो गया। इसके फलस्वरूप औद्योगिक इकाईयों ने वर्ष 2016-17 में SNA

(म.प्र. ल.उ.नि.) के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में रूचि नहीं ली। यह स्थिति 2017-18 में भी अभी तक जारी है।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA (म.प्र. ल.उ.नि.) के माध्यम से कोयला वितरण को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु NCDP-2007 में संशोधन करते हुए उपरोक्त वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.ट. की सीमा को बढ़ा कर अब 10,000 मे.ट. कर दिया गया है। MSME इकाईयों के अतिरिक्त अन्य बड़े उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 10000 मे.ट. तक है, को SNA के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की है। NCDP में उपरोक्त सुधारों के पश्चात और कोयला कम्पनीज द्वारा भी ई-आक्शन के कोयले के मूल्य में यथास्थिति की प्रत्याशा में वर्ष 2018-19 में म.प्र. ल.उ.नि. के माध्यम से कोयला वितरण बेहतर स्वरूप में पुनर्स्थापित होने की प्रबल सम्भावना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह मार्च-2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 158.40 करोड़ के समक्ष रू. 0.74 करोड़ का व्यवसाय किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 118.80 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष निरंक व्यवसाय हुआ है।

(7) वित्तीय परफारमेन्स :-

निगम की विगत पांच वर्षो की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

(रू. लाखों में)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/-हानि
1	2012-13	105569.23	(+) 1220.90 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
2	2013-14	122024.40	(+) 2253.54 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
3	2014-15	100598.05	(+) 1631.48 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
4	2015-16	92560.07	(+) 2579.65 (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/-हानि
5	2016-17	94143.61	(+) 2274.25 (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) (कर पूर्व)
6	2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)	57048.86	(+) 1085.34 (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) (कर पूर्व)

निगम द्वारा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक रू. 796.30 करोड़ के आनुपातिक लक्ष्य के समक्ष रू. 570.48 करोड़ का व्यवसाय कर लगभग रू. 1085.34 करोड़ का अनुमानित कर पूर्व लाभ मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) अर्जित किया गया है।

निगम के वर्ष 2014-15 के लेखे पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकाशन उपरान्त लेखे आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रख दिए जायेंगे। वर्ष 2015-16 के लेखों का सांविधिक अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

क्षेत्र के उत्पादों के आयात-निर्यात तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की इस व्यापार मेला में प्रचुर संभावनायें हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार जगत में देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है।

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011-इक्कीस-अ (प्रा) दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996' प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निकाय गठित किया गया। म.प्र.शासन, तत्समय वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, वर्तमान में उद्योग नीति एव निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-13-1/03/अ-ग्यारह दिनांक 28.12.2013 के अनुसार आयुक्त, ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नामांकित किया गया है।

समय-समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्याधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से

सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है, जो मेला आयोजन से लेकर कार्यालय तक, प्रत्येक स्तर पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

104 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले मेला परिसर में 1400 दुकानें, 126 कोठरियां, 44 एम.बी., 37 डी सेक्टर तथा 82 दुकानें एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नवीन दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुली भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मोटे रूप में मेला परिसर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, व्यापारिक संस्थान, लगेज सेक्टर, दंगल सेक्टर, मनोरंजन सेक्टर, प्रदर्शनी तथा पशु मेला आदि क्षेत्रों में विभाजित है। वर्ष 2017-18 में 25 नवीन दुकानों का निर्माण कराया गया है। साथ ही मेला परिसर में स्थित कलामंदिर रंगमंच हॉल का रिनोवेशन कार्य कराया गया, जिसमें इस वर्ष समस्त सॉस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये गये।

मेला परिसर में कई उद्यान विकसित हैं। तत्समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वर्तमान में उद्योग नीति एव निवेश प्रोत्साहन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-10/11/बी/2001 दिनांक 28.03.2002 द्वारा मेला परिसर की 15 एकड़ भू-भाग एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एवं फेमिली रि-क्रियेशन सेन्टर निर्माण हेतु 15 वर्षीय पट्टे पर आबंटित की गई है।

मेला परिसर में कला मंदिर तथा कुसुमाकर रंगमंच हैं, जिनमें मेला अवधि में प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेला परिसर में प्रशासनिक भवन स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो स्थाई एटीएम मेले के मुख्य गेट एवं गेट नं. 05 पर स्थापित हैं।

वर्ष 2017-18 में मेला प्राधिकरण द्वारा कुल 3 मेलों एवं 31 सॉस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

वर्ष 2017-18 में व्यापार मेले का आयोजन 25 दिसम्बर से 19 फरवरी तक किया गया है। मेले में कुल रूपयें 240 करोड़ का व्यवसाय व्यापारियों द्वारा किया गया।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला अवधि में विख्यात संस्थाओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा धार्मिक नाट्य, अखिल भारतीय मुशायरा और मुकाबला-ए-कव्वाली, राष्ट्रीय स्तर के अभिनेताओं/कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियाँ दी गईं। सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाल, स्कूली छात्र-छात्राओं, की आधुनिक रूचि के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। जिसमें 08 दिवसीय बाल फिल्में

आयोजित की गईं, साथ ही विकलांग ट्राई-साइकिल रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता की अभिरूचि के अनुसार इस वर्ष स्थानीय, राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगितायें आयोजित की गई। इस वर्ष मेले में शासकीय/अर्धशासकीय विभागों तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक प्रदर्शनियाँ लगाई गई।

मेला प्राधिकरण स्वतः एक विशुद्ध व्यापारिक निकाय है। इसके अधीन कोई कार्यालय या संस्था नहीं है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

1. म. प्र. राज्य वस्त्र निगम की स्थापना अक्टूबर 1970 में प्रदेश की बीमार सूत/कपड़ा मिलों के संचालन, हाथकरघा वस्त्रों के उत्पादन तथा विपणन व्यवस्था करने, हाथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण एवं उनके कौशल उन्नयन हेतु शासन व्दारा संचालित योजनाओं के क्रियांवयन करने के उद्देश्य से की गई थी।

2. बीमार मिलों के संचालन में भारी हॉनि होने तथा हाथकरघा वस्त्रों से संबंधित समस्त योजनाओं को अन्य निगम में हस्तांतरित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप शासन व्दारा नीतिगत निर्णय लेते हुये, म.प्र. राज्य वस्त्र निगम को दिनांक 31.10.2000 से बंद करने के आदेश दिये गये।

3. शासन के निर्देशों का पालन करते हुए निगम द्वारा प्रदेश में संचालित 22 हाथकरघा उत्पादन इकाईयों तथा देश एवं प्रदेश में विपणन व्यवस्था हेतु चलाये जा रहे हैं, 28 शोरूम तथा अवंति सूत मिल, सनावद को बंद कर दिया गया है।

4. निगम में कार्यरत 545 अधिकारी/कर्मचारियों एवं अवंति सूत मिल, सनावद में कार्यरत 1406 श्रमिकों/कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1998 लागू की गई। इस योजना के तहत हाथकरघा गतिविधियों में संलग्न 493 अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये रूपये 2214.29 लाख की धनराशि शासन से प्राप्त कर उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-98 के अंतर्गत भुगतान किया जाकर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। 20 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में तथा 06 कर्मचारियों की सेवाएं अन्य उपक्रमों में संविलियन किये जाने के फलस्वरूप निगम सेवा से कार्यमुक्त किया गया है। शेष बचे अधिकारी/कर्मचारियों में से 24 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिनांक 30.9.2004 को

निगम सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है। शेष 01 कर्मचारी महत्वपूर्ण बंदीकरण से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अंवति सूत मिल, सनावद के 1406 अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए रूपये 1769.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसका उपयोग करते हुये 1406 अधिकारी/कर्मचारी/श्रमिकों को सेवानिवृत्त कर मिल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।

5. अवंति सूत मिल, सनावद की परिसम्पत्तियों का विक्रय मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार अध्यक्ष, अवंति सूत मिल, वर्कर्स सोसायटी को किया गया है तथा सम्पत्तियाँ भी भौतिक रूप से सोसायटी को सौंपी जा चुकी है। मिल की 12.382 हैक्टयर भूमि 30 वर्ष के लिये 1000/- प्रति वर्ष के भू-भाटक पर दिनांक 29.04.2016 को लीज़ पर दी गई है।

6. निगम के वर्ष 2009-2010 के लेखा विधान-सभा पटल पर को पटलित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लेखाओं को विधानसभा में पटलित करने की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखाओं का अंतिमीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक के प्रॉविजनल लेखा तैयार कर लिये गये है। निगम के वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रशासकीय व्यय हेतु रूपये 17,88,000/- (रूपये सत्रह लाख अठ्यासी हजार मात्र) की मांग की गई थी। उपरोक्त मांग के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में राशि रू. 11,26,440/- (रू. ग्यारह लाख छब्बीस हजार चार सौ चालीस मात्र) प्राप्त हुए है।

7. म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान के अंतर्गत निगम की सम्पित्तियों एवं दायित्वो का विभाजन दिनांक 31.03.2001 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर हो चुका है।

8. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गए, निर्णय के अनुसार निगम की समस्त स्थाई सम्पित्तियों को प्रशासकीय विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 850 दिनांक 7.04.2011 से उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र., भोपाल को अधिकृत किया गया। निगम की समस्त चल-अचल संम्पत्तियों का हस्तांतरण, डीड ऑफ असाइनमेन्ट का निष्पादन दिनांक 21.03.2015 को पंजीकृत करवाकर आधिपत्य सौप दिया गया है। साथ ही, निगम का परिसमापन, परिसमापक की नियुक्ति कर बंद करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र., भोपाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लि. कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है। निगम का विधिक समापन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

- म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन 12 अगस्त 2005 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है। प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादो के लिए निर्यात के अवसर सुलभ कराये जाने की दृष्टि से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

- म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के अंतर्गत म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का कार्यालय एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल की स्थापना की गई है। इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की निर्यात करने वाली इकाईयों को निर्यात के नए अवसर सुलभ कराए जाने की दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल, प्रदेश के उत्पादों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशो में उसकी मांग का आंकलन करना, गुणवत्ता मापदण्डो को ज्ञात कर उत्पादनकर्ता इकाईयों को अवगत कराना एवं निर्यात संबंधी नियमो आदि की जानकारी उपलब्ध करा सकेगा।

- म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भागीदारी के लिए वार्षिक कैलेण्डर तैयार करती है और इन मेलो में भागीदारी पर होने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय योगदान पर निर्णय लेती है। अथॉरिटी द्वारा मेलो में भाग लेने वाले दल के सदस्यो का चयन कर उन्हें मेलों में भाग लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि प्रदेश के उद्यमी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादो के निर्यात के अवसर तलाश कर सकें।

- म.प्र. लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक अथॉरिटी के कार्यकारी के रूप में सदस्य सचिव नामांकित किए गए है।

- म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के सदस्य निम्नानुसार है :-

1.	मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	- अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	- उपाध्यक्ष
3.	उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल	- सदस्य
4.	प्रबंध संचालक/कार्यकारी निदेशक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, भोपाल	- सदस्य
5.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	- सदस्य सचिव

- राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-13-8/05/अ-ग्यारह भोपाल दिनांक 01 फरवरी, 2007 के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु नियमावली अनुमोदित की गयी। जिसमें म. प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के वित्तीय साधन जुटाये जाने की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि निर्यात संवर्धन के मद में प्रतिवर्ष रू. 10.00 लाख उद्योग आयुक्त द्वारा वित्तीय आवंटन किया जाता है।
- म. प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के माध्यम से अभी तक 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया गया है। वर्ष 2018-19 में भाग लेने हेतु 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का चयन किया गया है।

<u>भाग - दो</u>

<u>बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार प्रावधान, लक्ष्य, व्यय</u>

विभागीय बजट वर्ष 2018-19 की विस्तृत जानकारी URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSME_Budget_2018-19.pdf* पर उपलब्ध है।

<u>उद्योग संचालनालय</u>

बजट नियंत्रण अधिकारी - उद्योग आयुक्त

बजट सारांश

(राशि लाख रू. में)

क्र.	बजट शीर्ष		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
आयोजनेत्तर						
1			मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
	राजस्व अनुभाग	मतदेय	7965.24	5583.88	0.00	0.00
		भारित	63.79	57.04	0.00	0.00
	पूंजी अनुभाग	मतदेय	1500.00	1500.00	0.00	0.00
	योग (राजस्व + पूंजी)	**मतदेय**	**9465.24**	**7083.88**	**0.00**	**0.00**
		भारित	**63.79**	**57.04**	**0.00**	**0.00**
आयोजना						
1			मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
	राजस्व अनुभाग	मतदेय	55383.30	55202.03	69276.39	57462.20
	पूंजी अनुभाग	मतदेय	146320.02	146317.86	24200.00	20442.27
	योग (राजस्व + पूंजी)	**मतदेय**	**201703.32**	**201519.89**	**93476.39**	**77904.47**

क्र.	बजट शीर्ष		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
2	मांग संख्या - 41					
	मतदेय		90.83	81.33	100.00	11.98
3	मांग संख्या - 64					
	मतदेय		90.00	86.34	100.00	20.78
वृहद योग आयोजना (11/35 + 41 + 64) मतदेय			**201884.15**	**201687.56**	**93676.39**	**77937.23**
महायोग (11/35 + 41 + 64)		**मतदेय**	**211349.39**	**208771.44**	**93676.39**	**77937.23**
		भारित	**63.79**	**57.04**	**0.00**	**0.00**

आयोजनेत्तर

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना			वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
				मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
राजस्व अनुभाग							
1	2851-0725	औद्योगिक संस्थानों का संधारण		663.50	177.42	0.00	0.00
2	2851-1464	जिला उद्योग केन्द्र	मतदेय	5620.33	4116.54	5362.33	3781.51
			भारित	5.00	0.26	0.00	0.00
योग 2851			**मतदेय**	**6283.83**	**4293.96**	**5362.33**	**3781.51**
			भारित	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	2852-3370	मध्यवर्ती कार्यालय	मतदेय	1327.00	1038.13	1422.66	825.22
			भारित	2.00	0.00	0.00	0.00
4	2852-5815	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना		336.01	233.42	297.52	207.00

क्र.	योजना		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
			मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
5	2852-8732	इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन काउन्सिल का गठन	0.50	0.49	0.60	0.36
6	2852-6751	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता (मतदेय)	17.88	17.88	17.88	11.26
		53- डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	56.79	56.78	0.01	0.00
7	2852-6758	राजकुमार मिल्स इंदौर के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही बाबत	0.01	0.00	0.00	0.00
8	2852-7300	स्व. श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना	0.01	0.00	0.00	0.00
योग 2852		**मतदेय**	**1681.41**	**1289.92**	**1738.66**	**1043.84**
		भारित	**58.79**	**56.78**	**0.00**	**0.00**
महायोग राजस्व 2851+2852		**मतदेय**	**7965.24**	**5583.88**	**7100.99**	**4825.35**
		भारित	**63.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
पूंजी अनुभाग						
9	4851-6750	अधोसंरचना विकास	1500.00	1500.00	0.00	0.00
महायोग (राजस्व + पूंजी)		**मतदेय**	**9465.21**	**7083.88**	**7100.99**	**4825.35**
		भारित	**63.79**	**57.04**	**0.00**	**0.00**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से ही किया जाता है। निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाकर म.प्र. के मण्डप का निर्माण

कार्य एवं संचालन किया जाता है। "भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2017" हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रू. 125.00 लाख बजट सीमा रखी गई, जिसके समक्ष राशि रू. 98.89 लाख निगम को प्राप्त हुए। इस आयोजन में राशि रू. 106.85 लाख का व्यय हुआ।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

(राशि लाख रू. में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (31.01.2018 तक अनुमानित)
सकल आय	278.82	497.37	442.25
सकल व्यय	332.68	411.13	329.69
लाभ	(-53.86)	86.24	112.56

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

निगम की आय के स्रोत समाप्त हो चुके हैं। निगम के बंदीकरण हेतु प्रशासकीय व्यय एवं अन्य देनदारियों हेतु धनराशि राज्य शासन द्वारा दी जा रही है।

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(क) राज्य योजनायें

(अ) मांग संख्या - 11 एवं 35

0101 - राज्य आयोजना (सामान्य)

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
		मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
एक - राजस्व अनुभाग					
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-6927	बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना	138.09	138.09	40.00	0.00
2851-7690	पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	1334.31	1333.41	2001.00	1400.00
2851-1175	ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	145.26	126.37	120.00	7.20
2851-7064	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट मार्केटिंग सपोर्ट	90.00	90.00	100.00	63.50
2851-6750	अधोसंरचना विकास	0.09	0.00	0.00	0.00
2851-7363	पुराने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों का अनुरक्षण	90.00	63.00	50.00	37.57
2851-7390	फेसिलिटेशन सेल का गठन	105.00	104.99	0.00	0.00
योग		**1902.75**	**1855.86**	**2311.00**	**1508.27**

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
		मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
2852-उद्योग					
2852-4197	शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टडी टूर	18.00	17.35	0.00	0.00
2852-2124	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना	15812.40	15807.00	15800.00	15043.92
2852-8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	101.50	99.16	135.00	60.42
2852-5101	सीपेट को अधोसंरचना अनुदान	450.00	360.00	400.00	280.00
2852-7432	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना	605.70	589.92	299.40	272.44
2852-6635	म.प्र. राज्य उद्योग निगम के विधिक बंदीकरण एवं परिसंपत्तियों का रखरखाव	108.00	90.59	120.00	53.74
2852-6646	म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता	10.00	10.00	10.00	7.00
2852-7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	22930.00	22929.01	25400.00	22731.31
2852-7589	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	13445.00	13445.00	17700.00	12679.75
2852-6819	विद्युत देयक प्रतिपूर्ति	0.01	0.00	0.00	0.00
योग		**53470.61**	**53347.03**	**59864.40**	**51128.58**
महायोग आयोजना (2851+2852)		**55373.36**	**55202.89**	**62175.40**	**52636.85**

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
		मांग संख्या - 11		मांग संख्या - 35	
दो - पूंजी अनुभाग					
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
4851-6749	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (मतदेय) सर्विस चार्ज	500.00	500.00	250.00	29.44
4851-6750	अधोसंरचना विकास	5000.00	4997.86	7000.00	4773.33
4851-5380	ऑटोमोबाईल्स टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा	140000.00	140000.00	16050.00	15000.00
4851-7340	नवीन जिला उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण	320.00	320.00	300.00	210.00
4851-0735	एग्जीबिशन सेण्टर की स्थापना	0.00	0.00	200.00	200.00
	योग (मतदेय)	**23500.00**	**19502.44**	**14580.00**	**14364.58**
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय					
4875-6820	क्लस्टरो की स्थापना	400.00	400.00	300.00	210.00
4875-7627	मिनीटूल रूम की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00
4875-6481	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को अनुदान	100.00	100.00	100.00	19.50
	योग (मतदेय)	**500.01**	**500.00**	**400.00**	**229.50**
	महायोग पूंजी अनुभाग (मतदेय)	**146320.01**	**146317.86**	**24200.00**	**20442.27**

(ब) मांग संख्या - 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
0102 - आदिवासी उपयोजना

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
एक - राजस्व अनुभाग					
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	90.00	81.33	100.00	11.98

(स) मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष एवं योजनाओं के नाम		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय (दिसम्बर, 2017 तक)
एक - राजस्व अनुभाग					
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग					
2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	90.00	86.34	100.00	20.78

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

प्रदेश की एम.एस.एम.ई. इकाईयों के विकास की दिशा में प्रयास

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य शासन की सहायता से प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों हेतु प्रदायक विकास (वेण्डर डेव्हलपमेंट) कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लघु एवं मध्यम क्षेत्र की इकाइयों को वृहद एवं भारी उद्योगों से जोड़ा जाकर वृहद उद्योगों को लगने वाले सह उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की लघु तथा मध्यम इकाइयों को व्यवसाय प्राप्त हुआ एवं इस क्षेत्र को बढ़ावा मिला।

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की A Scheme for Promotion of Innovation Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) के अन्तर्गत देवास मध्यप्रदेश में रू. 129.97 लाख लागत का लेदर इंक्यूबेशन सेण्टर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, देवास के औद्योगिक क्षेत्र क्र.-2 स्थित प्रशासकीय भवन में स्थापित किया गया है।

इस योजना के लिये म.प्र. लघु उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। सेन्टर के सुचारू रूप से संचालन करने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम, एफ.डी.डी.आई. तथा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, देवास के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के देवास जिले में स्थित लेदर इक्यूबेशंन सेण्टर से 05 वर्ष की अवधि में 300 इन्टरप्रोन्यूर तथा 2000 स्किल्ड मेन पॉवर के लिए प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है। सेण्टर में दिनांक 01/02/2017 से प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ हो गया है। दिसम्बर, 2017 तक इस सेण्टर में 300 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम (ISDS)

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों के, जो पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हों, हेतु वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ISDS योजना अप्रैल 2015 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य को वित्तीय सत्र 2015-16 एवं 2016-17 इन दो वर्ष की अवधि में 26,310 व्यक्तियों एवं 2017-18 हेतु 1500 व्यक्तियों के कौशल विकास का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना में टेक्सटाईल/अपरेल, हेण्डलूम के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रशिक्षण का व्यय केन्द्र शासन एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा वहन किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु 75 प्रतिशत राशि का वहन किया जावेगा, जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति अधिकतम रू. 10,000/- की राशि निर्धारित की गई है, शेष 25 प्रतिशत राशि इम्प्लीमेटिंग ऐजेन्सी/प्रशिक्षण देने वाली संस्था प्रशिक्षणार्थीयों के लॉजिंग/बोर्डिग एवं छात्रवृति (Stipend),के रूप मे वहन करती है। इस प्रकार हितग्राहियों के लिए यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। इस प्रशिक्षण की अवधि लगभग 02 माह है। प्रशिक्षण के उपरांत दक्ष युवक/युवतियों को भारत सरकार की टेक्सटाईल कमेटी के असेसर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है एवं प्रशिक्षण संस्था द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता

है। प्रशिक्षण के पश्चात 70% प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित किया गया है तथा प्रशिक्षण देने वाली संस्था (ट्रेनिंग पार्टनर) के निर्धारण के लिए Resource Support Agency Textile committee ministry of Textile, Govt. of India द्वारा शर्तें निर्धारित की गई है। इस बावत् वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अधिकृत संस्था द्वारा निरीक्षण किया जाता है। म.प्र. में वर्तमान में यह कार्य NIFT द्वारा सम्पन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक लगभग 28180 का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है एवं 26012 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

<u>मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेन्टर, ग्वालियर</u>

व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, प्रोजेक्ट्स व संबंधित सेवाओं के संवर्धन व विकास के लिये आयात-निर्यात हेतु मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेन्टर, मेला परिसर में स्थित है। मूलतः तीन करोड़ लागत की इस योजना को वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी और रू. 1.75 करोड़ का अनुदान केन्द्र ने दिया था। शेष राशि रू. 1.25 करोड़ मेला प्राधिकरण द्वारा देय थी। तीन करोड़ की इस लागत के विरूद्ध रू. 4.25 करोड़ व्यय इसके निर्माण पर हुआ है। उक्त केन्द्रीय अनुदान के अलावा शेष सम्पूर्ण व्यय मेला प्राधिकरण ने वहन किया है। इसमें केन्द्रीय व राज्य के शासकीय व अशासकीय संस्थानों के आयोजन वर्ष भर किये जाते हैं। मेला अवधि में अग्रणी व्यापारिक संस्थायें अपने संयुक्त स्टॉल्स लगाते हैं। इससे आय का यही स्रोत मेला प्राधिकरण को है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभागीय स्थापना संबंधी जानकारी URL https://mpmsme.gov.in/website/employee's-corner पर उपलब्ध है।

विभाग स्तर

समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	एफ 1-02/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 13.01.2017	01 सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
2	एफ 1-7/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 02.03.2017	01 प्रबंधक को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
3	एफ 10-4/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 20.04.2017	01 उप संचालक को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत
4	एफ 1-9/2016/बी-तिहत्तर दिनांक 24.06.2017	05 उप संचालकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत
5	एफ 1-20/2016/बी-तिहत्तर दिनांक 24.06.2017	01 सहायक संचालक को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
6	एफ 1-16/2016/बी-तिहत्तर दिनांक 26.12.2017	04 उप संचालकों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
7	एफ 1-21/2016/बी-तिहत्तर दिनांक 26.12.2017	04 सहायक संचालकों को द्वितीय समयमान वेतनमान की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

नियुक्तियां

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	एफ 1-111/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 16.08.2017	41 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
2	एफ 1-111/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 01.12.2017	01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
3	एफ 1-111/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 26.12.2017	03 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

स्थायीकरण

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	एफ 1-1/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 13.01.2017	14 अधिकारियों को सहायक संचालक उद्योग के पद पर स्थायी किया गया।
2	एफ 1-3/2017/बी-तिहत्तर दिनांक 13.01.2017	01 अधिकारी को सहायक संचालक उद्योग के पद पर स्थायी किया गया।

विभागीय जाँच/लोकायुक्त प्रकरण

विवरण	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए	लंबित प्रकरणों की संख्या
विभागीय जाँच प्रकरण	09	00	09
अपील प्रकरण	00	00	00
लोकायुक्त प्रकरण	01	00	01

सूचना का अधिकार

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 तक कुल 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी, 2018 तक कुल 07 अपीले प्राप्त हुई, जिनमें से 04 अपीलों का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक

स्थायीकरण

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	17/स्था/1-ब/2016/132 दिनांक 01.03.2017	63 कर्मचारियों को सहायक वर्ग-3 के पद पर स्थायी किया गया
2	16/स्था/1-ब/2016/285 दिनांक 19.05.2017	73 कर्मचारियों को सहायक प्रबंधक के पद पर स्थायी किया गया
3	04/स्था/1-ब/2016/775 दिनांक 21.11.2017	02 कर्मचारियों को अधीक्षक के पद पर स्थायी किया गया

समयमान/क्रमोन्नत वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	53/स्था/1-ब/2016/12 दिनांक 04.01.2017	03 सहायक वर्ग-1 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
2	58/स्था/1-ब/2008/24 दिनांक 10.01.2017	01 सहायक वर्ग-3 को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
3	17/स्था/1-ब/2016/25 दिनांक 10.01.2017	01 स्टेनो टायिपस्ट को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
4	37/स्था/1-ब/2010/579 दिनांक 03.08.2017	02 भृत्यों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
5	37/स्था/1-ब/2010/580 दिनांक 03.08.2017	07 भृत्यों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
6	64/स्था/1-ब/2016/581 दिनांक 03.08.2017	08 लेखापाल को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
7	57/स्था/1-ब/2015/583 दिनांक 03.08.2017	02 भृत्यों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
8	17/स्था/1-ब/2015/589 दिनांक 05.08.2017	26 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
9	17/स्था/1-ब/2015/657 दिनांक 27.09.2017	01 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
10	57/स्था/1-ब/2015/774 दिनांक 27.11.2017	06 भृत्यों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
11	2/स्था/1-ब/2017/773 दिनांक 21.11.2017	04 सहायक प्रबंधकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
12	47/स्था/1-ब/2016/793 दिनांक 30.11.2017	16 चौकीदारों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
13	47/स्था/1-ब/2016/793 दिनांक 30.11.2017	05 चौकीदारों को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
14	09/स्था/1-ब/2010/813 दिनांक 07.12.2017	06 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
15	35/स्था/1-ब/2016/833 दिनांक 15.12.2017	01 वाहन चालक को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
16	35/स्था/1-ब/2016/838 दिनांक 15.12.2017	16 वाहन चालकों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
17	35/स्था/1-ब/2016/836 दिनांक 15.12.2017	13 वाहन चालकों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत
18	35/स्था/1-ब/2016/835 दिनांक 15.12.2017	02 वाहन चालकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत
19	35/स्था/1-ब/2016/837 दिनांक 15.12.2017	01 वाहन चालक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत

परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	45/स्था./1-ब/2016/735 दिनांक 08.11.2017	01 सहायक वर्ग-3 की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
2	44/स्था./1-ब/2017/58 दिनांक 25.01.2017	11 सहायक प्रबंधकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
3	03/स्था./1-ब/2016/89 दिनांक 06.02.2017	01 भृत्य की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
4	03/स्था./1-ब/2016/163 दिनांक 15.03.2017	01 चौकीदार की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
5	17/स्था./1-ब/2017/629 दिनांक 05.09.2017	01 सहायक प्रबंधक की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
6	06/स्था./1-ब/2017/654 दिनांक 27.09.2017	01 सहायक वर्ग-3 की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
7	80/स्था./1-ब/2015/678 दिनांक 11.10.2017	01 चौकीदार की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
8	46/स्था./1-ब/2016/614 दिनांक 22.08.2017	02 सहायक वर्ग-3 की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।
9	28/स्था./1-ब/2016/815 दिनांक 08.12.2017	01 चौकीदार की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।

नियुक्तियां

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	20/स्था/1-ब/2013/751/ 14.11.2017	01 सहायक वर्ग-3 का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
2	20/स्था/1-ब/2013/64/ 22.11.2017	01 सहायक वर्ग-3 का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
3	20/स्था/1-ब/2013/619/ 28.08.2017	04 सहायक वर्ग-3 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
4	20/स्था/1-ब/2013/405/ 21.06.2017	11 सहायक वर्ग-3 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
5	07/स्था/1-ब/2017/408/ 23.06.2017	नि:शक्तजनों के विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत 03 सहायक

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
		वर्ग-3 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
6	07/स्था/1-ब/2017/409/ 23.06.2017	नि:शक्तजनों के विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत 01 भृत्य के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
7	20/स्था/1-ब/2012/413/ 24.06.2017	71 सहायक प्रबंधकों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
8	20/स्था/1-ब/2012/569/ 02.08.2017	01 सहायक प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
9	20/स्था/1-ब/2012/849/ 21.12.2017	01 सहायक वर्ग-3 का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

<u>अनुकंपा नियुक्तियाँ</u>

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	63/स्था./1-ब/2016/54 दिनांक 05.01.2017	01 सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
2	05/स्था./1-ब/2017/76 दिनांक 16.03.2017	01 सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
3	81/स्था./1-ब/2015/288 दिनांक 22.05.2017	01 सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
4	43/स्था./1-ब/2017/689 दिनांक 15.09.2017	01 सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
5	15/स्था./1-ब/2017/655 दिनांक 29.09.2017	01 भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
6	13/स्था./1-ब/2017/167 दिनांक 16.03.2017	01 सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
7	60/स्था./1-ब/2016/75 दिनांक 24.01.2017	01 चौकीदार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।
8	12/स्था./1-ब/2016/293 दिनांक 23.05.2017	01 चौकीदार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई।

त्याग पत्र एवं नियुक्ति आदेश निरस्तीकरण

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	20/स्था./1-ब/2012/771 दिनांक 24.11.2017	01 सहायक प्रबंधक का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।
2	63/स्था./1-ब/2016/646 दिनांक 20.09.2017	01 सहायक वर्ग - 3 का अनुकंपा नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया।
3	20/स्था./1-ब/2012/700 दिनांक 25.10.2017	01 सहायक प्रबंधक का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।
4	20/स्था./1-ब/2012/558 दिनांक 25.11.2017	05 सहायक प्रबंधकों के नियुक्ति आदेश निरस्त किये गये।
5	20/स्था./1-ब/2012/594 दिनांक 08.08.2017	08 सहायक प्रबंधकों के नियुक्ति आदेश निरस्त किये गये।
6	20/स्था./1-ब/2012/796 दिनांक 04.12.2017	01 सहायक प्रबंधक का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।
7	20/स्था./1-ब/2012/817 दिनांक 11.12.2017	01 सहायक प्रबंधक का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।
8	20/स्था./1-ब/2012/700 दिनांक 11.12.2017	01 सहायक प्रबंधक का त्यागपत्र स्वीकार किया गया।

विभिन्न संवर्गो में पदों की स्थिति

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी			
01	उद्योग आयक्त	01	01
02	अपर संचालक, उद्योग	6 = (3 + 3)	02
03	संयुक्त संचालक, उद्योग	16 = (8 + 8)	04
04	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01
05	महाप्रबंधक/उप संचालक उद्योग	72 = (58 + 14)	52
	योग	**96**	**60**

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
द्वितीय श्रेणी			
01	प्रबंधक/सहायक संचालक	227 = (212+15)	157
02	वरिष्ठ निज सहायक	09	02
03	प्रशासकीय अधिकारी	01	00
04	लेखा अधिकारी	01	00
	योग	**238**	**159**
तृतीय श्रेणी			
01	सहायक प्रबंधक	330	247
02	अधीक्षक	08	02
03	सहायक अधीक्षक	03	03
04	सहायक वर्ग-1	60	40
05	सहायक वर्ग-2	159	124
06	सहायक वर्ग-3	268	196
07	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	02
08	सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी	05	03
09	कनिष्क लेखा परीक्षक	05	03
10	लेखापाल	64	15
11	निज सहायक	26	07
12	शीघ्रलेखक	79	57
13	स्टेनोटायपिस्ट	90	16
14	वाहन चालक	63	24
15	मिस्त्री (सांख्येत्तर पद)	01	01
	योग	**1163**	**740**
चतुर्थ श्रेणी			
01	सुपरवाइजर	02	00
02	जमादार	01	00
03	दफतरी	01	00
04	भृत्य	228	164

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
05	चौकीदार	69	33
	योग	**301**	**197**
	महायोग	**1798**	**1156**

स्थानांतरण

वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक स्थानांतरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्चयं के व्यय पर स्थानांतरण
1	अपर/संयुक्त/महाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	11	05
2	प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	36	05
3	सहायक प्रबंधक (कार्यपालिक तृतीय श्रेणी)	41	07
4	तृतीय श्रेणी	12	09
5	चतुर्थ श्रेणी	01	00

पदक्रम सूची

1. विभिन्न संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 1 अप्रेल, 2016 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची जारी की चुकी है।
2. अराजपत्रित संवर्ग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची 1 अप्रेल, 2017 की स्थिति में जारी की जा चुकी है।

पेंशन संबंधी जानकारी

(01 अप्रेल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति)

क्र.	श्रेणी	पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरण	वर्ष 2017-18 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंबित प्रकरणों की संख्या
1	प्रथम	01	03	04	03	01
2	द्वितीय	02	04	06	04	02
3	तृतीय	01	06	07	05	02
4	चतुर्थ	00	01	01	00	01
	योग	**04**	**14**	**18**	**12**	**06**

वर्ष 2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक) में आयोजित प्रशिक्षण :-

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से लगभग 130 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

विभागीय जांच

क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	03	00	03
2	द्वितीय श्रेणी	01	00	01
3	तृतीय श्रेणी	03	01	02

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दो प्रकरण संचालनालय स्तर पर प्रचलन में है।

न्यायालयीन प्रकरण

उद्योग संचालनालय में 31 जनवरी, 2018 तक विभिन्न न्यायालयों में कुल 1684 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 260 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल विभागीय सेवाओं (एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना) के आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उद्योग संचालनालय द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक 11 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें समस्त अपीलें निराकृत की गई तथा इसी अवधि में सूचना के अधिकार अंतर्गत 73 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें समस्त आवेदन निराकृत किए गए।

सिटीजन चार्टर

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यकलापों के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में सिटीजन चार्टर भी लागू किया गया है।

ऑडिट

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश की 267 कण्डिकाए निराकरण हेतु उद्योग संचालनालय, म.प्र. के अंतर्गत शेष है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालक मण्डल की दिसम्बर, 2017 तक 02 बैठके आयोजित हो चुकी हैं। कार्यालयीन कार्यों को समय सीमा में निपटाने हेतु निगम में सिटीजन चार्टर लागू किया गया हैं।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। निगम के अधीनस्थ सभी कार्यालयों से लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुख्यालय पर अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। मुख्यालय, भोपाल में वर्ष 2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक) 98 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से 85 का निराकरण किया जा चुका हैं।

आलोच्य अवधि में राज्य विधानसभा द्वारा निगम से सम्बंधित कोई विधेयक पारित नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 में माह दिसमबर, 2017 तक निगम से संबंधित विधानसभा के 50 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनके उत्तर निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को प्रेषित किये गये। माह दिसम्बर, 2017 तक निगम के कुल 143 न्यायालयीन प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन हैं।

निगम में कुल 273 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम में बैकलॉग के पदो के समक्ष 05 कर्मी संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वर्ष 2007 में आतिशबाजी मेला के आयोजन में अग्निकाण्ड के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त लगभग 350 पक्की दुकानों के पुनरूद्धार के लिये शासन से मांगी गई मुआवजा राशि रूपये 3.50 करोड़ मे से 2.67 करोड़ राशि लघु उद्योग निगम को प्राप्त हुई है, जिससे निगम द्वारा मेला परिसर में सड़कों का डामरीकरण, पेवर्स लगाना, 50 नवीन दुकानों का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल की ऊंचाई बढाने, नवीन गेट का निर्माण, दुकानों की मरम्मत व रंगाई पुताई एवं पशु मेला क्षेत्र में डिवाईडरो पर ग्रिल लगाने का कार्य पूर्ण कराया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

निगम की हाथकरघा इकाईयों तथा विक्रय केन्द्रों में कार्यरत कुल 545 अधिकारी/कर्मचारियों में से 493 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनांतर्गत सेवामुक्त किया जा चुका है। 20 अधिकारी/कर्मचारी को म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में तथा 06 अधिकारी/कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य विभागों में उनके संविलियन फलस्वरूप निगम सेवा से कार्यमुक्त किया गया है तथा 24 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने हेतु दिनांक 30.9.2004 को निगम सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

न्यायालयीन प्रकरण

निगम की इकाई इंदौर टेक्सटाईल्स, उज्जैन एवं अवंति सूत मिल, सनावद के पूर्व श्रमिकों तथा निगम से संबंधित लगभग 196 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है।

अंकेक्षण

निगम के वर्ष 2009-2010 के लेखा विधान-सभा पटल पर पटलित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लेखाओं को विधानसभा में पटलित करने की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखाओं का अंतिमीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक के प्रॉविजनल लेख तैयार कर लिये गये है।

भाग-पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 :- राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई है, जो 1 अप्रेल, 2018 से प्रभावशील होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत प्रक्रिया सरल रखी गई है और आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु योजना अंतर्गत प्रदत्त सहायता को सिंगल विण्डों के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहायता समिति गठित की गई है। योजना अंतर्गत इकाईयों को उद्योग विकास अनुदान, इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता, निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति और पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

(विस्तृत जानकारी हेतु URL *https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSMEP_Scheme_2017.pdf* पर क्लिक करें)

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

- म.प्र. लघु उद्योग निगम में नवीन ऑनलाईन इण्डेंट तथा सप्लाई आर्डर जारी किये जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है।
- नवीन वेबसाईट www.mpsme.in प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य निर्यातकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

- निगम द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्रालय की इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत जबलपुर में रू. 55.58 करोड़ की लागत से रेडीमेड गारमेंन्ट काम्पलेक्स की स्थापना की गई है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के निरंतर प्रयास से वर्ष 2017-18 में विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से क्राफ्ट बाजार दिनांक 31 मार्च, 2017 से 09 अप्रेल, 2017 तक आयोजित किया गया।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा माह मई-जून 2017 में तीस दिवसीय ग्रीष्मकालीन समर नाईट मेलें का आयोजन किया गया। इस तरह प्राधिकरण द्वारा निरंतर वर्षभर आयोजन किये जाने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे है।

<u>भाग - छः</u>

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

<u>उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश</u>

उद्योग संचालनालय, म. प्र. द्वारा 'मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2017', 'मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017', 'मध्यप्रदेश शासन की एमएसएमई योजनाए', 'सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017' और 'मध्यप्रदेश में उभरते हुए क्षेत्रों की सैम्पल प्रोफाइल' की पुस्तिकाएं मुद्रित कराई गई है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना व मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पुस्तिकायें और वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत लाभांवित हितगाहियों की प्रोफाइल मुद्रित कराई गई है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार योजनाओं की नवीन पुस्तिका भी मुद्रित कराई गई है।

विभागीय महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम/निर्देशों की विस्तृत जानकारी संबंधित नियम/अधिनियम/निर्देश की नीचे उल्लेखित लिंक पर उपलब्ध है :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006
   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSMED_Act.pdf

2. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017
   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSME_Development_Policy_2017.pdf

3. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016
   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_Incubation_&_Startup_Policy_2016.pdf

4. उद्योग संवर्धन नीति 2014
   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/Industrial_Promotion_Policy_2014_Amended.pdf

5. म. प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017
   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_MSEFC_Rules_2017.pdf

6. म. प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_Land_Rules_2015.pdf

7. म. प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MP_Purchase_Rules_2015.pdf

8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की लोक सेवा के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाए
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSME_Lok_sewa.pdf

9. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MMYUY_&_MMSY_New_Guidelines.pdf

10. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/PMEGP.pdf

11. लैण्ड बैंक 2014
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/Land_Bank_2014.pdf

12. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017
https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Admin/fileman/Uploads/Documents/MSMEP_Scheme_2017.pdf

भाग - सात

सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित एमएसएमई को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ़ करने का व उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजना जैसे- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014, मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति -2016 एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 क्रियान्वित किये जा रहे है। 1 अप्रेल, 2018 से म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 के प्रभावशील होने से औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि होने की संभावना है।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था तथा गैर कृषि ग्रामीण उद्यमिता को सम-उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र.लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति कर के उनके उत्थान में सतत् प्रयत्नशील है। निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित अपने एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, महेश्वरी, कोसा इत्यादि साड़ियां बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने

में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निरन्तर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

प्राधिकरण का यह मेला, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो देश के अन्य प्रदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। मेला आयोजन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अति-आकर्षक एवं सराहनीय होते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2000 के निगम को बंद करने के आदेश जारी किये गये थे। आदेश का क्रियान्वयन करते हुये निगम द्वारा संचालित समस्त हाथकरघा इकाइयों एवं बिक्री केन्द्रों और संचालित मिल को बंद कर दिया गया है। वस्त्रों के विपणन व्यवस्था हेतु चलाये जा रहे, समस्त केन्द्र भी बंद कर दिये गये हैं। निगम की स्थायी संपत्तियां उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म. प्र. को असाइनमेंट डीड द्वारा हस्तांतरित कर दी गई है।

म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के विभाजन के संबंध में श्री आर.पी.कपूर की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक दिनांक 10.01.2005 में निगम की छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित संपत्तियों का विभाजन म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य हो चुका है। जिसमें निगम की छत्तीसगढ़ में स्थित संपत्तियों-भूमि, वाहन, फर्नीचर/फिक्चर्स एवं कपड़े के स्कंध आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर से इस निगम को राशि रू. 188.69 लाख का भुगतान तीन किश्तों में किया जाय, जिसकी प्रथम किश्त माह मई 2005 में इस निगम को प्राप्त होनी थी, किन्तु आज दिनांक तक किसी भी किश्त का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। निगम द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु निरंतर पत्राचार किया जा रहा है।

अवंति सूत मिल, सनावद की परिसंपत्तियों का विक्रय मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार अध्यक्ष, अवंति सूत मिल वर्कर्स सोसायटी को किया गया है तथा संपत्तियां भी भौतिक रूप से सोसायटी को सौंपी जा चुकी है। मिल की 12.382 हैक्टयर खुली भूमि 30 वर्ष की लीज पर दिनांक 29.04.2016 को सोसायटी को दे दी गई है।

निगम की संपत्तियों के निराकरण के पश्चात कंपनी अधिनियम 1956 के लीज पत्र प्रावधानों के अनुसार निगम का स्वैच्छिक परिसमापन किया जावेगा।

भाग - आठ
मध्यप्रदेश की महिला नीति अनुसार
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में महिलाओं के लिये
किये गये कार्यो पर अलग से खण्ड

- **स्वरोजगार योजनाए :-**

उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओ के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओ के तहत महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान और सामान्य आवेदक की तुलना में दोगुनी मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

- **महिला प्रकोष्ठ का गठन :-**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

MSME
MSME

DELEGATE

MSME

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश माध्यम/2018
सुपर प्रिन्टर्स, भोपाल